अपील सूचना का अधिकार संख्या 32/2022 (GCMS 2022/118)(आईटीआई पोर्टल नं. 212194852588706) सोहन सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी वार्ड संख्या 7, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 9414...1306) बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सोहन सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी सोहन सिंह ने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश कर, दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, किन्तु उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.03.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. अप्रार्थीगण 1. बनवारी लाल पुत्र श्री मंगतूराम 2. प्यारेलाल पुत्र श्री नारायणराम 3. मदन दाईया पुत्र श्री रामूराम 4. अर्जुनराम पुत्र श्री नारायण राम वार्ड संख्या 7 के द्वारा दिनांक 05.04.2021 को उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर को पेश किये गये पत्रों की प्रमाणित प्रति।
2. क्रम संख्या 01 पर लिखे गये नामों द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों पर आप द्वारा जो कार्यवाही की गई ... उसकी प्रमाणित प्रति दी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:12:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, ... ने अपने पत्रांक सूका/अ/22/1909 दिनांक 21.06.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:-

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासांगिक पत्र के सदंर्भ में अपीलार्थी श्री सोहन सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी वार्ड नं 07, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर को पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1740 दिनांक 20.04.2022 को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। पुनः सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
> संलग्न उपरोक्तानुसार।
>
> -sd-
> उपखण्ड अधिकारी
> रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सूकाअ/22/1740 दिनांक 20.04.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में आप द्वारा चाही गई सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना बिन्दु संख्या 01 से 02 के संबंध में उपलब्ध रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
> संलग्न : उक्तानुसार।
>
> -sd-
> उपखण्ड अधिकारी
> रायसिंहनगर

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्र दिनांक 20.04.2022 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी है और अपीलार्थी ने स्वयं ने उनकी पत्रावली में अंकित किया है कि " मुझे पूर्व में सूचना प्राप्त हो चुकी है। मै इस अपील पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ", जिसकी प्रति पत्रावली में भी उपलब्ध है। चूंकि अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध हो चुकी है, इसलिए अपीलार्थी की खारिज की जानी उचित प्रतीत होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब शामिल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:12:23 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर